गाँव ने यूनियन कार्बाइड अपशिष्ट को जलाने से मना किया

चर्चा में क्यों?

भोपाल स्थित **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL)** संयंत्र से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट के निपटान को लेकर विवाद उस समय चर्चा में आ गया है, जब **खतरनाक सामग्री** को जलाने के लिये मध्य प्रदेश के पीथमपुर शहर के **तारपुरा गाँव** में ले जाया गया है।

मुख्य बिंदु

- **खतरनाक अपशिष्ट स्थानांतरण:**
- **UCIL भोपाल संयंत्र** से **337 मीट्रिक टन** **विषाक्त अपशिष्ट** को निपटान के लिये **पीथमपुर** ले जाया गया है।
- **कंटेनरों को एक निजी उपचार, भंडारण** और **निपटान सुविधा** में पार्क किया जाता है।
- **विरोध और विरोध:**
- स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और कार्यकर्त्ताओं ने अपशिष्ट को जलाने का विरोध किया है।
- इस क्षेत्र में आम हड़ताल का कारण **पर्यावरण क्षरण**, **भूजल प्रदूषण** और **अपर्याप्त नियामक** उपायों जैसी समस्याएँ हैं।
- **सरकार की प्रतिक्रिया:**
- धार ज़िला प्रशासन ने चिंताओं को दूर करने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- इसमें किसान, श्रमिक और औद्योगिक संघ शामिल हैं तथा पर्यावरण मानदंडों के पालन पर ज़ोर दिया जाता है।
- **स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियाँ:**
- पीथमपुर का औद्योगिक क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक प्रदूषित है, जिससे वायु, जल और मृदा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- **भूजल में लवणता** बढ़ने और इससे संबंधित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ जैसे त्वचा संबंधी समस्याएँ होने की रिपोर्टें।

भोपाल गैस त्रासदी 1984

- **भोपाल गैस त्रासदी** औद्योगिक दुर्घटनाओं के इतिहास में सबसे गंभीर घटनाओं में से एक मानी जाती है, जो **2-3 दिसंबर 1984** की रात मध्य प्रदेश के भोपाल में **यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL)** के **कीटनाशक संयंत्र** में घटित हुई थी।
- कई व्यक्तियों और जानवरों ने इस अत्यधिक विषैले गैस **मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)** के संपर्क में आकर तत्काल और दीर्घकालिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव अनुभव किया, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु भी हुई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/village-rejects-union-carbide-waste-incineration